

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 286/14

संस्थापन दिनांक:-15/05/14

फाईलिंग नं. 233504001472014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

टिंडी उर्फ सोनू पिता बबलू ठीका, उम्र 29 वर्ष,
निवासी भीमनगर बोड़खी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 23.03.2014 को दोपहर करीब 12:00 बजे थाना आमला से 2 किमी. पश्चिम में बबलू चड़डा के घर के पीछे वार्ड नं. 18 घोड़ाचाल बोड़खी आमला लोक स्थान के समीप फरियादी सेवंतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य को सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सेवंतीबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23.03.2014 को दुकान से सामान लेकर बबलू चड़डा के घर के पीछे बोड़खी से घर जा रही थी। दिन करीब 12 बजे उसे अभियुक्त मिला और कहा कि भाभी राखा ने मुलताई जेल मिलने के लिए बुलाया है। जिस पर उसने अभियुक्त से कहा कि आज के बाद खबर मत लाना। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने उसे मादरचोद, बहनचोद की गंदी गंदी गालियां दिया तथा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से उसकी पीठ पर मारा। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 240/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना

पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 सेवंतीबाई (अ.सा.-1) एवं मल्लिका (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने गंदी गंदी गालियां दी थी। यद्यपि फरियादी सेवंतीबाई (अ.सा.-1) एवं मल्लिका (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्व

ारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 फरियादी सेवंती (अ.सा.-1) एवं मल्लिका (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ने धमकी दी थी परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

7 सेवंतीबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय दुकान से सामान लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी अभियुक्त रास्ते में मिला और उससे कहा कि राका से मिलने जेल में जाना तो उसने कहा कि मैं नहीं जा पाऊंगी। साक्षी के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किये जाने से न्यायालय के द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से मारा था। स्वतः कहा कि केवल खींचातानी हुई थी। अभियुक्त ने उसे मारा नहीं था। मल्लिका (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय अपनी मां के साथ दुकान से सामान लेकर घर की ओर जा रही थी तभी रास्ते में अभियुक्त मिला और मां को कहा कि राका से मिलने के लिए जेल जाना। उक्त साक्षी के द्वारा भी अभियोजन का समर्थन न किये जाने से न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर इस सुझाव को सही बताया है कि उसे घटना की जानकारी उसकी मां ने फोन पर बतायी थी। उसने पुलिस को अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने की बात नहीं बतायी थी।

8 दिनेश सोनी (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह सीएचसी आमला में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 23.03.2014 को भी वह सीएचसी आमला में पदस्थ था। उसने डॉक्टर रोहित के साथ कार्य किया है और वह डॉक्टर रोहित और उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि डॉ. रोहित के द्वारा दिनांक 23.03.2014 को आहत सेवंतीबाई का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था जिसमें उन्होंने आहत की पीठ पर मात्र दर्द होना पाया था। साक्षी ने डॉ. रोहित के द्वारा दी गयी चिकित्कीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी-5)

पर डॉ. रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

9 सेवंतीबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि राका अभियुक्त टिंडी का दोस्त था। वह राका और टिंडी दोनों को जानती थी। **इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसके साथ मारपीट वाली कोई घटना नहीं हुई थी।** प्रकरण में स्वयं फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने की बात से इनकार किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में साक्ष्य का नितांत अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी सेवंतीबाई के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

10 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान के समीप फरियादी सेवंतीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य को सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी सेवंतीबाई के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त टिंडी उर्फ सोनू को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः उसके जेल वारंट में अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो रिहा किये जाने की टीप अंकित की जाकर उसका जेल वारंट अधीक्षक जिला जेल होशंगाबाद प्रेषित किया जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

